

व्यापार सूचना: एपीडा/क्यू/2021 दिनांक: 10/08/2021

# हरी मिर्च निर्यात हेतु प्रक्रिया



कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात  
विकास प्राधिकरण

तीसरी मंजिल, एनसीयूआई बिल्डिंग

3 सिरी सांस्थानिक क्षेत्र, अगस्त क्रांति मार्ग, हौज खास, नई दिल्ली - 110016

फोन नं.: 26513204, फैक्स: 26519259, ई-मेल: [headq@apeda.gov.in](mailto:headq@apeda.gov.in)

## हरी मिर्च निर्यात हेतु प्रक्रिया

### भूमिका

हरी मिर्च का निर्यात यूरोपीय संघ और जीसीसी जैसे आयात करने वाले देशों के कृषि रसायनों की अनुमेय अधिकतम अवशेष सीमा (एमआरएल) के अनुपालन के अधीन है। दिनांक 22/10/2019 की यूरोपीय संघ विनियमन संख्या 2019/1793 में स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आधिकारिक स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के साथ आयात के लिए किए गए उपायों को यूरोपीय संघ की दिनांक 06/05/2020 विनियमन संख्या 2020/625 में लागू किया गया है।

सऊदी अरब के विशिष्ट संदर्भ में GCC देशों से मांगे गए कृषि रसायनों के एमआरएल का अनुपालन। हरी मिर्च के निर्यात के लिए आयातक देशों की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए यूरोपीय संघ और GCC आवश्यकताओं को शामिल करते हुए मौजूदा प्रक्रिया को संशोधित किया गया है। तदनुसार, हरी मिर्च के निर्यात के लिए तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा:

|    |  |     |   |
|----|--|-----|---|
| 1. | उद्देश्य                               | 1.1 | यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीएससी जारी करने से पहले भारत से निर्यात की जाने वाली हरी मिर्च में एग्नोकेमिकल्स के अवशेष निर्धारित सीमा के भीतर हैं।  |
|    |  | 1.2 | अवशेषों के अनुमेय स्तर से अधिक का पता चलने की स्थिति में सुधारात्मक कार्रवाई के लिए एक प्रणाली स्थापित करना।  |
| 2. | क्षेत्र                                | 2.1 | इन प्रक्रियाओं के अंतर्गत सभी मान्यता प्राप्त पैकहाउस, हरी मिर्च की सैम्पलिंग और विश्लेषण के लिए प्रयोगशालाएं, राष्ट्रीय रेफरल प्रयोगशाला, एगमार्क ग्रेडिंग प्रमाण-पत्र (एगमार्क-सीएजी जारी करने वाले प्राधिकरण), राष्ट्रीय संयंत्र संरक्षण संगठन (एनपीपीओ) पीएससी जारी करने वाले प्राधिकरण, हरी मिर्च के निर्यातकों को शामिल किया जाएगा। |
| 3. | सैम्पलिंग और विश्लेषण के लिए प्रक्रिया | 3.1 | प्रयोगशालाओं के फील्ड सैंपलर द्वारा हरी मिर्च का सैम्पल उपयुक्त PHI बनाए रखने वाले पंजीकृत और अनुशंसित फार्मों की कटाई की गई सामग्री से लिया जाएगा। प्रयोगशालाओं द्वारा विश्लेषण प्रमाण-पत्र के साथ प्रत्येक सैम्पल फार्म के कृषि रसायनों के स्प्रे रिकॉर्ड   |

|  |  |     |  |
|--|--|-----|--|
|  |  |     | जैसे फार्म पंजीकरण रिकॉर्ड बनाया जाएगा।  |
|  |  | 3.2 | प्रयोगशाला द्वारा एपीडा मान्यता-प्राप्त पैकहाउस या पंजीकृत फार्म से प्रत्यक्ष रूप से हार्वेस्टिड सामग्री के द्वारा सैम्पलिंग विधि के अनुसार निर्यात हेतु हरी मिर्चों का सैम्पल लिया जाएगा।   |
|  |  | 3.3 | पैकहाउस में लिए गए सैम्पलों की स्थिति में, निर्यातक/ मान्यता-प्राप्त पैकहाउस द्वारा उत्पाद को इस प्रकार पृथक किया जाएगा जिससे उसे फार्मों या एक समान पूर्व हार्वेस्ट अभ्यासों का पालन करने वाले फार्मों से ट्रैक किया जा सके और उत्पादक फार्म निकटवर्ती क्षेत्र में हो।                          |
|  |  | 3.4 | एपीडा से मान्यता प्राप्त पैकहाउसों की सूची <b>संलग्नक-1</b> में दी गई है।  |
|  |  | 3.5 | सभी निर्यातकों द्वारा सीए धारक पैकहाउस <b>संलग्नक-2</b> में दिए गए सैम्पल स्लिप के प्रारूप में निर्यात हेतु हरी मिर्च की सैम्पलिंग के लिए प्रयोगशालाओं में आवेदन किया जाएगा।   |
|  |  | 3.6 | हरी मिर्च के सैम्पलिंग और विश्लेषण के लिए प्रयोगशालाओं की सूची <b>संलग्नक-3</b> में दी गई है।  |
|  |  | 3.7 | यूरोपीय संघ के शिपमेंट की स्थिति में, डीएमआई द्वारा एगमार्क ग्रेडिंग का प्रमाण-पत्र जारी करने वाली प्रयोगशालाओं की सूची <b>संलग्नक-4</b> में दी गई है।   |
|  |  | 3.8 | यूरोपीय संघ शिपमेंट की स्थिति में, हरी मिर्च की सैम्पलिंग को सैम्पलिंग दिशानिर्देशों के अतिरिक्त यूरोपीय संघ के नियमन 2002/63/ईसी के अनुसार प्रयोगशालाओं के फील्ड सैंपलर द्वारा संपन्न किया जाएगा। हरी मिर्च के सैम्पल लेने के लिए प्रयोगशालाओं को दिशा-निर्देश <b>संलग्नक-5</b> में दिए गए हैं। |
|  |  | 3.9 | प्रयोगशालाओं द्वारा राष्ट्रीय रेफरल प्रयोगशाला (एनआरएल) द्वारा दी गई विश्लेषण की विधि के अनुसार सैम्पलों का विश्लेषण किया जाएगा।   |

|    |                            |      |   |
|----|----------------------------|------|---|
|    |                            |      |   |
|    |                            | 3.10 | हरी मिर्च की एक कंसाइन्मेंट में अधिकतम दस फार्म शामिल हो सकते हैं, बशर्ते कि ये फार्म एक समान पूर्व फसल अभ्यासों का पालन करें और एक ही PHI बनाए रखें ताकि अवशेषों के विश्लेषण के लिए लिए गए सैम्पल समरूप हों। |
|    |                            | 3.11 | प्रयोगशाला सैम्पलर द्वारा तैयार किए गए सैम्पलों (नियंत्रण सैम्पल सहित) को तुरंत प्रयोगशाला में स्थानांतरित किया जाएगा परंतु यह प्रक्रिया सैम्पल लेने की तिथि के 18 घंटे तक ही की जाएगी।                       |
|    |                            | 3.12 | प्रयोगशाला द्वारा सैम्पल लेने की तिथि और समय से 36 घंटे के भीतर विश्लेषण परिणाम जारी किया जाएगा।  |
| 4. | प्रयोगशालाओं की आवश्यकताएं | 4.1  | इन प्रक्रियाओं में दिए गए हरी मिर्च के लिए कृषि रसायनों के एमआरएल की सैम्पलिंग और विश्लेषण के लिए सभी प्रयोगशालाओं को आईएसओ/आईईसी-17025 से मान्यता प्राप्त करनी होगी।   |
|    |                            | 4.2  | यूरोपीय संघ शिपमेंट की स्थिति में, सभी प्रयोगशालाओं के पास सीएजी जारी करने के लिए डीएमआई ऑथोराइजेशन हो।   |
|    |                            | 4.3  | प्रयोगशाला के फील्ड सैम्पलर को जितनी जल्दी हो सके अगले दिन की सुबह तक हार्वेस्टिड उत्पाद से सैम्पल लेना होगा।   |
|    |                            | 4.4  | सैम्पल लेने, सैम्पल को प्रयोगशाला में स्थानांतरित करने और सैम्पल लेने की तारीख और समय से 36 घंटे के भीतर विश्लेषणात्मक परिणाम जारी करने की जिम्मेदारी प्रयोगशाला की होगी।                                     |
|    |                            | 4.5  | यूरोपीय संघ को हरी मिर्च के शिपमेंट के लिए विश्लेषण किए जाने वाले एगोकेमिकल्स और उनके एमआरएल की सूची संलग्नक -6 और जीसीसी-एसएफडीए संलग्नक -6 ए में दी गई है।  |
|    |                            | 4.6  | प्रयोगशालाओं द्वारा संलग्नक-7 में दिए गए प्रारूप के अनुसार विश्लेषण रिपोर्ट जारी की जाए।  |

|    |  |     |   |
|----|--|-----|---|
|    |  | 4.7 | प्रयोगशालाएं द्वारा सैम्पलों को निकालने की तारीख से 21 दिनों की अवधि के लिए प्लस 8oC से नीचे नियंत्रित स्थितियों में काउंटर सैम्पलों को बनाए रखा जाएगा। दीर्घ शेल्फ लाइफ वाले उत्पादों के काउंटर सैम्पलों के भंडारण की स्थिति में, प्रयोगशाला सैम्पल के समरूप भाग को शून्य से 18oC पर बनाए रखेगी।   |
| 5. | निर्यातक/एपीडा द्वारा मान्यता प्राप्त पैक हाउसों के उत्तरदायित्व | 5.1 | एपीडा से मान्यता प्राप्त सभी पैक हाउस हरी मिर्च के किसानों का रिकॉर्ड इस तरह से बनाए रखेंगे कि निर्यात की गई कंसाइन्मेंट को वापस खेत में ट्रैक किया जा सके। सैम्पल लेने के समय प्रयोगशाला प्रतिनिधि को फार्म रिकॉर्ड और स्प्रे रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाएगा।  |
|    |  | 5.2 | आयात करने वाले देशों के एमआरएल के अनुपालन की समग्र जिम्मेदारी निर्यातक और मान्यता प्राप्त पैक हाउस की होगी।   |
|    |  | 5.3 | मान्यता प्राप्त पैक हाउस द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक बॉक्स पर एक विशिष्ट पहचान कोड (यूआईसी) वाला एक लेबल हो। उदाहरण के लिए मुंबई से AAA निर्यात AAAPHL000FFF हो सकता है (AAA पैकहाउस नाम को दर्शाता है, AAA पैकहाउस के स्थान को दर्शाता है और 000 पैकहाउस सर्टिफिकेट नंबर को दर्शाता है और FFF फार्म पंजीकरण संख्या को दर्शाता है)। निर्यातक द्वारा पैकेज में उसी यूआईसी का उल्लेख किया जाएगा। |
|    |  | 5.4 | केवल प्रयोगशाला से विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने पर यह विवरण देते हुए कि यह उत्पाद बाजार विशिष्ट जैसे (i) ईयू एमआरएल (ii) जीसीसी-एसएफडीए एमआरएल के अनुरूप है, खेप निर्यातक द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और पीएससी (जहां कहीं भी लागू हो) के साथ भेज दिया जाए।   |
|    |  | 5.5 | आयातकों द्वारा हरी मिर्च की अस्वीकृति की स्थिति में निर्यातक, एक सप्ताह के भीतर एपीडा को अस्वीकृति के बारे में सूचित करें। ऐसा न करने पर पैक हाउस को निलंबित कर दिया जाएगा।   |
|    |  | 5.6 | आयात करने वाले देशों द्वारा अपेक्षित उपयुक्त उत्तम अभ्यासों जैसे छंटाई, ग्रेडिंग, हैंडलिंग, प्रसंस्करण, पैकिंग और परिवहन को बनाए रखने की जिम्मेदारी निर्यातक/पैकहाउस की होगी ।  |

|    |   |     |  |
|----|---|-----|--|
|    |   | 5.7 | मान्यता प्राप्त पैक हाउस अपनी सुविधा से निर्यात की जाने वाली हरी मिर्च के सभी लॉट और खेपों की विस्तृत लॉग शीट बनाए रखेंगे। इसे आवश्यकता पड़ने पर एपीडा को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है और एपीडा द्वारा किसी भी समय निरीक्षण किया जा सकता है।  |
|    |   | 5.8 | आयात करने वाले देश की आवश्यकता के साथ गैर-अनुपालन पाए जाने वाले खेप को तुरंत प्रतिष्ठान से हटा दिया जाएगा।   |
|    |   | 5.9 | यूरोपीय संघ शिपमेंट की स्थिति में, एपीडा द्वारा मान्यता प्राप्त पैक हाउस संलग्नक-8 में दिए गए प्रारूप के अनुसार प्रत्येक बॉक्स की हरी मिर्च की खेप को लेबल करेगा।  |
| 6. | पीएससी और सीएजी जारी करने की प्रक्रिया      | 6.1 | यूरोपीय संघ के शिपमेंट के मामले में, सीए धारक प्रतिष्ठान/निर्यातक डीएमआई प्रयोगशाला को एफओबी मूल्य के 0.1% की दर से न्यूनतम 200/- रुपये प्रति खेप के अधीन ग्रेडिंग शुल्क का भुगतान करेगा। एफओबी मूल्य 50 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है। प्रयोगशाला एगमार्क नियमों के अनुसार ग्रेडिंग शुल्क भेजेगी। |
|    |   | 6.2 | पीएससी एनपीपीओ द्वारा निर्धारित नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार जारी किया जाएगा।  |
| 7. | स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया | 7.1 | यूरोपीय संघ को हरी मिर्च के शिपमेंट की स्थिति में, सक्षम प्राधिकारी के नामित अधिकारियों द्वारा <b>संलग्नक-9</b> में दिए गए प्रारूप में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।  |
|    |   | 7.2 | सक्षम प्राधिकारी के नामित अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि हरी मिर्च शिपमेंट यूरोपीय संघ के दिनांक 06/05/2020 विनियमन संख्या 2020/625 में निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन करता है।   |
| 8. | एपीडा के कार्य                              | 8.1 | एपीडा द्वारा समय मीनिटरिंग की जाएगी।   |
|    |   | 8.2 | एपीडा द्वारा इन प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक हितधारक के कार्य की नियमित रूप से मीनिटरिंग की जाएगी।   |
| 9. | एनआरएल के कार्य                             | 9.1 | हरी मिर्च के निर्यात के लिए राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे में राष्ट्रीय रेफरल प्रयोगशाला द्वारा सैम्पलिंग और विश्लेषण की विधि निर्धारित की जाएगी।   |

|     |                           |      |   |
|-----|---------------------------|------|---|
|     |                           | 9.2  | एनआरएल द्वारा प्रयोगशालाओं, एपीडा, निर्यातकों और किसी भी अन्य संबंधित हितधारकों के परामर्श से मीनिटर किए जाने वाले कृषि रसायनों के एमआरएल की सूची को अंतिम रूप दी जाएगी।  |
| 10. | दंडात्मक प्रावधान और अपील | 10.1 | किसी भी हितधारक द्वारा इन प्रक्रियाओं के उल्लंघन की स्थिति में, एपीडा निम्नलिखित के अतिरिक्त, नई दिल्ली के अधिकार क्षेत्र के अधीन एपीडा अधिनियम, 1985 के प्रावधान के अनुसार कार्रवाई शुरू कर सकता है।   |
|     |                           | 10.2 | अपनी वेबसाइट पर 04/04/2018 को उपलब्ध एपीडा उत्पादों के लिए रैपिड अलर्ट, अस्वीकृति और शिकायतों को संभालने के लिए एसओपी के आधार पर निर्यातक के खिलाफ कार्यवाई की जाएगी। निर्यातक 15 दिनों के भीतर अध्यक्ष, एपीडा से निवारण के लिए अपील कर सकता है।  |
|     |                           | 10.3 | निलंबित निर्यातक/पैकहाउस अनुपालन आवश्यकताओं के संतोषजनक प्रदर्शन के बाद अनुमोदन के लिए पुनः आवेदन कर सकते हैं।  |
|     |                           | 10.4 | एनआरएल द्वारा अनुशंसित सैम्पलिंग और विश्लेषण की विधि से प्रयोगशाला द्वारा किसी भी विचलन की स्थिति में: आयात करने वाले देश के परिणामों की तुलना में पूर्व शिपमेंट सैम्पलिंग और विश्लेषण प्रयोगशाला के विश्लेषण परिणामों में अंतर होने पर संबंधित प्रयोगशाला को बिना किसी पूर्व सूचना के निलंबित कर दिया जाएगा। |
| 11  | अनुमोदन की बहाली          | 11.1 | निर्यातक द्वारा अनुपालनों को सत्यापित करने के लिए, यदि आवश्यक हो, तो एपीडा द्वारा पैकहाउस का पुनः निरीक्षण किया जा सकता है।   |
|     |                           | 11.2 | संतोषजनक अनुपालन पर एपीडा द्वारा निर्यातक/पैकहाउस को निर्यात गतिविधि की बहाली के बारे में सूचित किया जाएगा।   |

स्थान: नई दिल्ली  
तिथि: 10/08/2021

हस्ताक्षरित/-  
डॉ. एम अंगमुथु  
अध्यक्ष-एपीडा

सब्जियों के निर्यात के लिए एपीडा मान्यता-प्राप्त पैकहाउसों की सूची

| क्र.सं. | पैकहाउस का नाम | राज्य | पता | प्रमाण-पत्र मान्यता तिथि |
|---------|----------------|-------|-----|--------------------------|
|---------|----------------|-------|-----|--------------------------|

हरी मिर्च सहित ताजी सब्जियों के निर्यात के लिए एपीडा द्वारा मान्यता प्राप्त पैकहाउसों की सूची



हरी मिर्च के लिए सैम्पल स्लिप

विशिष्ट पहचान कोड \_\_\_\_\_ सैम्पल स्लिप सं. \_\_\_\_\_

| सं. | विषय   | विवरण |
|-----|--|-------|
| 1.  | निर्यातक का नाम और पता   |       |
| 2.  | पैकहाउस का नाम और पता  |       |
| 3.  | पैकहाउस पहचान संख्या और उसकी मान्यता   |       |
| 4.  | फार्म पंजीकरण विवरण  |       |
| 5.  | फसल और किस्म   |       |
| 6.  | इस सैम्पल स्लिप में शामिल कुल मात्रा (निर्यातक/स्थापना द्वारा घोषित बक्सों की संख्या, शुद्ध भार और सकल भार)                                |       |
| 7.  | कीटों और रोगों से संबंधित फसल की स्थिति  |       |
| 8.  | स्प्रे रिकॉर्ड   |       |
| 9.  | लिए गए सैम्पलों का वजन   |       |
| 10. | प्रयोगशाला सैम्पल का वजन (स्टोरेज सैम्पल सहित)   |       |
| 11. | पैकहाउस/फार्म में सैम्पल निकालने की तिथि और समय  |       |
| 12. | खेतों की कुल संख्या जहां से सैम्पल लिया गया है (खेतों की निगरानी निर्यातक/प्रतिष्ठान और फार्मों द्वारा एक समान पद्धतियों का पालन करते हुए) |       |

निर्यातक के हस्ताक्षर

पैकहाउस प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

निर्यातक का नाम

पैकहाउस के प्रतिनिधि का नाम

**प्रमाण-पत्र**

यह प्रमाणित किया जाता है कि:

1. मैं, .....(प्रयोगशाला के सैम्पलर का नाम) ने हरी मिर्च के निर्यात की प्रक्रिया में दी गई सैम्पलिंग विधि के अनुसार उपरोक्त खेत/प्रतिष्ठान से यह नमूना लिया है। .
2. यह सैम्पल उपरोक्त प्रतिष्ठान/फार्म से लिया गया है, जिसका निर्यात ..... द्वारा किया जाना है (यूरोपीय संघ के लिए नियत शिपमेंट के मामले में सीए धारक निर्यातक का नाम)। अंतिम ..... दिन (दिनों) के दौरान कृषि इनपुट और स्प्रे का कोई अनुप्रयोग नहीं है।
3. मैंने खेत के स्प्रे विवरण, फार्म पंजीकरण और पैकहाउस मान्यता प्रमाण पत्र की एक प्रति भी प्राप्त की है।
4. अतः वर्तमान तिथि में, इस प्रयोगशाला का ISO-17025 प्रत्यायन मान्य है।

तिथि

हस्ताक्षर

स्थान:

प्रयोगशाला के अधिकृत

प्रतिनिधि का नाम:

आधिकारिक पता:

## हरी मिर्च के विश्लेषण के लिए प्रयोगशालाओं की सूची

| सं. | प्रयोगशाला का नाम और संपर्क विवरण   | स्थिति  |
|-----|---|---|
|     | नैशनल रिसर्च सेंटर ऑन ग्रेप्स (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद)<br>पी.बी.सं. 3, मंजरी फार्म पोस्ट, सोल्हापुर रोड, पूणे 412307<br>टेलीफोन नं: +91-20-26956002 EPABX: +91-20-26956000 फैक्स: +91-20-26956099<br>nrcgrapes@gmail.com; apedanrl@gmail.com; apedanrlpt@gmail.com; | संयंत्र मूल के उत्पादों के लिए एनआरएल, आईएसओ 17025 और 17043 मान्यता प्राप्त |
| 1   | अश्वमेध इंजीनियर्स एंड कंसल्टेंट्स, सर्वे नंबर 102 प्लॉट नंबर 26 वडाला पाथर्डी रोड इंदिरा नगर नासिक 422 009<br>फोन नं: 0253-2392225 sales@ashwamedh.net;  | आईएसओ - 17025 मान्यता प्राप्त   |
| 2   | खाद्य परीक्षण केंद्र, भारती विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय 5वीं मंजिल सेंटर फॉर एडवांस्ड रिसर्च इन फार्मास्युटिकल साइंसेज भवन भारती विद्यापीठ शैक्षिक परिसर, एरंडवाने पुणे 411 038<br>फोन नं: 020-65737381,82,83 cft.bvdu@gmail.com;                                     | - do -  |
| 3   | एनवायरोकेयर लैब्स प्राइवेट लिमिटेड ए-7 एमआईडीसी वागले इंडस्ट्रियल एस्टेट मेन रोड ठाणे 400 604 फोन नं: 022-25838286-88 फैक्स: 25838289<br>info@envirocare.co.in; priti.a@envirocare.co.in; Nilesh.a@envirocare.co.in;  | -do-  |
| 4   | फर्स्ट सोर्स लेबोरेटोरी सोल्युशन एलएलपी (ऐनालेटिकल सर्विसेज) पहली मंजिल फोन नं: 040-27177036 फैक्स: 040-27174037<br>crm@firstsourcels.com; sudhakar@firstsourcels.com;  | - do -  |
| 5   | जियो केम लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड प्रगति, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कांजुर मार्ग (ई) मुंबई 400 042 फोन नं: 022-61915100 फैक्स: 022-61915101 के निकट<br>neel@geochemgroup.com; sureshbabu.p@geochem.net.in;<br>laboratory@geochem.net.in;                                     | - do -  |
| 6   | इंटरस्टेलर टेस्टिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड प्लॉट नंबर 2, साइट नंबर 12/2/ए इंडस्ट्रियल एस्टेट पेरुंगुडी, शोलिंगनल्लूर तालुक, चेन्नई-600096<br>फोन नं: 044-24962512/07760992716 Sd.babu@itclabs.com;  | - do -  |
| 7   | इंटरटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (फूड सर्विसेज) प्लॉट नंबर डी-53, आईडीए फेज-I जीडीमेटला, हैदराबाद-500055<br>फोन नं: 040-23195257/58/9505222645<br>Gandla.Krishnaiah@intertek.com   | - do -  |
| 8   | मैट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 1ए, 1बी, परुमल कोइल स्ट्रीट नेरकुंडम, चेन्नई 600 107<br>फोन नं: 044-42051415, 9840024009<br>chennai@matsgroup.com; Lab.enquiry@matsgroup.com;   | -do-  |

|    |   |        |
|----|---|--------|
| 9  | माइक्रोकेम सिलीकर प्राइवेट लिमिटेड माइक्रोकेम हाउस ए-513 टीटीसी<br>औद्योगिक क्षेत्र एमआईडीसी महापे नवी मुंबई 400 701<br>फोन नं: 022-27787800<br>jeetendra.patil@mxns.com;qa.in@mxns.com;  | - do - |
| 10 | राष्ट्रीय संपाश्विक प्रबंधन सेवा लिमिटेड (एनसीएमएसएल) टीम टावर्स, चौथी<br>मंजिल, प्लॉट नंबर ए-1/2/ए औद्योगिक पार्क आईडीए-उत्पल हैदराबाद 500 039<br>फोन नं: 040-66374700, 09959333267<br>ganesh.r@ncml.com; quality@ncml.com;  | - do - |
| 11 | राष्ट्रीय संपाश्विक प्रबंधन सेवा लिमिटेड (एनसीएमएसएल) डी-164 आनंद हाउस<br>टीटीसी औद्योगिक क्षेत्र नेरुल नवी मुंबई 400706<br>फोन नं: +91-22-27688188, 8433919333<br>srinivas.p@ncml.com; Commgrad@ncml.com;  | - do - |
| 12 | राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास फाउंडेशन (एनएचआरडीएफ)<br>कीटनाशक अवशेष विश्लेषण, प्रयोगशाला अनुसंधान परिसर चित्तेगांव फाटा<br>पीओ डरना सांगवी टीक्यू निफाड नासिक औरंगाबाद रोड नासिक 422 003<br>फोन नं: 02550-237551, 237816 फैक्स: 237947<br>nhrdf_nsk@sancharnet.in; drpkgupta11@gmail.com; | - do - |
| 13 | नवल एनालिटिकल लेबोरेटरीज<br>प्लॉट 100 न्यू सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट श्रीनगर, होसुर 635109<br>फोन नं: 04344-329718, 09894785841<br>Green_balu74@yahoo.com; Ecogreen.labs@gmail.com;  | - do - |
| 14 | रिलायबल एनालिटिकल लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड<br>भारतीय निगम परिसर भवन संख्या 125, और 139,<br>गजानन पेट्रोल पंप के सामने गुंडावली, मनकोली नाका भिवंडी ठाणे 421 302<br>फोन नं: 09272232281,82,83/9819008912<br>harshal@reliablelabs.org; Rashmi@reliablelabs.org; vikas@reliablelabs.org;          | - do - |
| 15 | एसजीएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड भारतीय स्टेट बैंक के सामने 28 बी/1<br>(एसपी), 28 बी/2 (एसपी) 2 मेन रोड अंबतूर औद्योगिक एस्टेट,<br>चेन्नई 600 058<br>फोन नं: 044 66081769, 9790925994<br>Av.Abraham@sgs.com; V.Nirmala@sgs.com;   | - do - |
| 16 | श्रीराम इंस्टिट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च<br>14-15 सदरमंगला औद्योगिक क्षेत्र व्हाइटफील्ड रोड बेंगलोर 560 048<br>फोन नं: 080-28410172, 28410165/166/167<br>sribglr@vsnl.com; sribglr@bgl.vsnl.net.in; ark@shriraminstitute-bangalore.org;   | - do - |
| 17 | टीयूवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (टीयूवी नॉर्ड पुणे) सर्वे संख्या: 423/1<br>और 3/2 पाशंकर ऑटो (बनेर) के पास शुश-पाषाण रोड<br>पुणे 411 021<br>फोन नं: 020- 67900000<br>Foodlab@tuv-nord.com; mumbai@tuv-nord.com;  | -do-   |
| 18 | टीयूवी सूड साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड नंबर 151, सेकंड सी मेन,<br>सेकंड स्टैज पीन्या इंडस्ट्रियल एस्टेट बेंगलोर 560058<br>फोन नं: 080-67458000 फैक्स: 080-67458058<br>pritee.paliwal@tuv-sud.in; Ramesh.VG@tuv-sud.in;<br>Sagar.Utture@tuv-sud.in;  | -do-   |

|    |   |      |
|----|---|------|
| 19 | विमता लैब्स लिमिटेड लाइफ साइंसेज कैंपस, # 5, एमएन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क, जीनोम वैली शमीरपेट हैदराबाद 500 101<br>फोन नं: 040- 6740 4040<br>quality@vimta.com; mdoffice@vimta.com;   | -do- |
| 20 | विमता लैब्स लिमिटेड, भक्ति उत्पत्ति, 5वीं मंजिल क्र.सं. 245 वाकड-हिंजेवाड़ी रोड वाकड पुणे 411 057<br>फोन नं: 020-67404040<br>shriram.kulkarni@vimta.com; Foodlab.pune@vimta.in;   | -do- |
| 21 | यूरोफिन्स एनालिटिकल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड #540/1, डीडनकुंडी इंडस्ट्रियल एरिया 2, हुडी, व्हाइटफील्ड, बेंगलोर 560048<br>फोन नं: 080-30982500 फैक्स: 41680405<br>09310458455/07259451031<br>FarhanaAyesha@eurofins.com; Deepak.Kumar@eurofins.com;                        | -do- |
| 22 | आईटीसी लिमिटेड, कृषि व्यवसाय प्रभाग, प्रयोगशाला सेवाएं<br>पोस्ट बॉक्स नंबर 317 ग्रैंड ट्रंक रोड गुंटूर 522 004<br>फोन नं: +91-08632348643, 9866374155<br>k.satyamurthy@itc.in;  | -do- |
| 23 | राष्ट्रीय संपार्श्विक प्रबंधन सेवा लिमिटेड, 883, तीसरी मंजिल, शंकर चौक रोड, उद्योग विहार, चरण V, सेक्टर -19 गुडगांव-122016<br>91-124-4691462, 9599088616<br>ritu.s@ncml.com;  | -do- |
| 24 | यूरेका एनालिटिकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एबी स्क्वायर, #617, 5वां मेन, ओएमबीआर लेआउट, कस्तूरी नगर मेन रोड, बनसवाड़ी बेंगलोर-560043<br>फोन नं: 91 7259451031<br>satpathygouri@eurekaserv.com;  | -do- |
| 25 | अर्ब्रो फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, विश्लेषणात्मक प्रभाग 4/9 कीर्ति नगर औद्योगिक क्षेत्र नई दिल्ली 110 015<br>फोन नं: 011-45754575, 9871700488, फैक्स: 45754545<br>arbrolab@arbropharma.com; saurabharora@arbropharma.com;  | -do- |
| 26 | दिल्ली टेस्ट हाउस, ए-62/3, जी.टी. करनाल रोड, औद्योगिक क्षेत्र, हंस सिनेमा के सामने, आजादपुर, दिल्ली-110033 फोन नं: 011-47075555 (30 लाइनें)<br>+91-9310360377, 9810442016 फैक्स नंबर: 011-47075550<br>info@delhiesthouse.com; dg@delhitesthouse.com;<br>sonia@delhitesthouse.com; | -do- |
| 27 | एडवर्ड फूड रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर लिमिटेड<br>(ईएफआरएसी) सुभाष नगर पीओ नीलगंज बाजार बारासात कोलकाता 700 121<br>फोन नं: 033-71122800 efraclab@efrac.org; balwinderbajwa@efrac.org;   | -do- |
| 28 | एसएमएस लैब्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, 39/6 तिरुवल्लूर हाई रोड पुदुचत्रम पोस्ट थिरुमाझीसाई पूनमाली टीके चेन्नई 600 124<br>फोन नं: 044-26811997,26811993,444418694<br>sm@smsla.in; smslab2012@yahoo.in; sharadhangm@gmail.com;  | -do- |
| 29 | गुजरात प्रयोगशाला एफ-16, 17, माधवपुरा मार्केट शैबाग अहमदाबाद 380004   | -do- |

|    |  |      |
|----|--|------|
|    | फोन नं: 09825407980, 07925626040<br>gujlab@gmail.com;  |      |
| 30 | यूरेका एनालिटिकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड 31 वीं मील का पत्थर, मेन जीटी रोड, एएमआर मॉल के पास, कुंडली, सोनीपत - 131028<br>+91 8748037689, +91 7259451031<br>bhemaalatha@eurekaserv.com; Satpathygouri@eurekaserv.com; | -do- |

हरी मिर्च के लिए एगमार्क ग्रेडिंग प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए डीएमआई प्रयोगशालाएं (यूरोपीय संघ को शिपमेंट के लिए लागू)

| क्र.सं. | प्रयोगशाला का नाम  |
|---------|--|
| (i)     | हरी मिर्च के निर्यात के लिए प्राधिकरण प्रमाण पत्र, एगमार्क ग्रेडिंग का प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए डीएमआई प्रक्रिया |
| (ii)    | हरी मिर्च के निर्यात के लिए एगमार्क ग्रेडिंग प्रमाणपत्र जारी करने के लिए डीएमआई प्रयोगशालाएं                           |

## हरी मिर्च के निर्यात हेतु एमआरएल के निर्धारण के लिए सैम्पल लेने की विधि

सैंपलिंग के ये तरीके भारत से ताजे फल और सब्जियों के निर्यात के लिए पिछले कई वर्षों के दौरान मॉनिटरिंग, कोडेक्स जनरल गाइडलाइंस सीएसी / जीएल 50-2004 के साथ ही सैंपलिंग की विधि पर ईयू रेगुलेशन 2002/63 / ईसी आधारित हैं।

यूरोपीय संघ के गंतव्यों के लिए हरी मिर्च की शिपमेंट की स्थिति में, निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के अतिरिक्त यूरोपीय संघ के विनियमन 2002/63/ईसी आधारित प्रयोगशालाओं के संवेदीकृत क्षेत्र सैम्पलर द्वारा उपयुक्त PHI बनाए रखने वाले पंजीकृत और अनुशंसित खेतों से प्राप्त सामग्री से सैम्पल लिया जाए। हरी मिर्च का एक सैम्पल बहुत से ट्रेस करने योग्य विशिष्ट पहचान कोड से लिया जाएगा।

### लॉट और कंसाइनमेंट की परिभाषा

लॉट, सामग्री की वह मात्रा हीए जिसे सैम्पलिंग अधिकारी द्वारा मूल, उत्पादक, किस्म, पैकर, पैकिंग के प्रकार, चिहनों, कंसाइनर, आदि जैसी समान विशेषताओं द्वारा ज्ञात किया जाता है।

प्रत्येक लॉट में एक विशिष्ट पहचान कोड होगा जिसे स्पष्ट रूप से नालीदार बॉक्स के बाहरी भाग पर उल्लेख किया जाएगा।

एक कंसाइनमेंट में एक या अधिक लॉट शामिल हो सकते हैं। वह स्थिति जहां एक कंसाइनमेंट में बहुत सारे लॉट शामिल होते हैं जिन्हें विभिन्न उत्पादकों (अलग-अलग अभ्यासों का पालन करते हुए) आदि से उत्पन्न होने के रूप में पहचाना जा सकता है वहां प्रत्येक लॉट के सैम्पल और विश्लेषण अलग से लिया जाएगा। इसी तरह, एक लॉट में एक से अधिक कंसाइनमेंट भी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में भी, उस लॉट के लिए एक सैम्पलिंग और विश्लेषण किया जाएगा।

उपज की ट्रेसबिलिटी क्षमता स्थापित करने के लिए, उपयुक्त PHI और एपीडा पंजीकृत पैक-हाउस को बनाए रखने वाले पंजीकृत और अनुशंसित खेतों से सैम्पल लिया जाएगा। यदि एक से अधिक फार्म (अलग-अलग अभ्यासों का पालन करते हुए) या अलग-अलग लॉट से उपज को मिलाकर एक कंसाइनमेंट बनाया जाता है, तो प्रत्येक व्यक्तिगत कृषि उत्पाद या लॉट को एक विशिष्ट पहचान कोड

दिया जाएगा, पृथक सैम्पल लिया जाएगा और व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण किया जाएगा। इस प्रकार, उदाहरण यदि एक खेप में 5 अलग-अलग फार्मी (अलग-अलग प्रथाओं का पालन करते हुए) या बहुत से उत्पाद शामिल हैं, तो खेप में 5 अलग-अलग अवशिष्ट विश्लेषण प्रमाण पत्र होंगे। यदि कोई प्रमाण पत्र एमआरएल के गैर-अनुपालन को इंगित करता है तो उस विशेष लॉट को कंसाइन्मेंट में शामिल नहीं किया जाएगा।

यदि फार्मी/खेतों के समूह की निगरानी निर्यातकों और फार्म (फार्मी) द्वारा समान उत्पादन अभ्यासों का पालन करते हुए की जाती है, तो निर्यातक उपरोक्तानुसार या कंसाइन्मेंट के अनुसार उपज के सैम्पलिंग और विश्लेषण का विकल्प चुन सकता है।

एक कंसाइन्मेंट में हरी मिर्च के लिए इष्टतम दस खेतों की उपज शामिल हो सकती है, बशर्ते इन खेतों ने एक समान पूर्व फसल अभ्यासों को अपनाया हो और एक ही PHI बनाए रखा हो ताकि अवशिष्ट विश्लेषण के लिए तैयार किए गए सैम्पल समरूप हों और आपूर्ति करने वाले खेतों के प्रमुख हों।

- सैम्पलिंग के लिए आवश्यक सामग्री
- छिद्रित पॉलीथीन बैग
- टैग
- कैंची और कटर
- पर्मानेंट मार्कर
- सेलो टेप
- हैंड ग्लोव्स

### पेपरवर्क

- सैम्पल स्लिप (प्रक्रियाओं के अनुरूप)
- सैम्पलिंग प्रक्रियाएं

सैम्पलों को दूषित और खराब होने के सभी चरणों में रोका जाना चाहिए, क्योंकि वे विश्लेषणात्मक परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। अनुपालन के लिए जाँच की जाने वाले प्रत्येक लॉट का अलग से सैम्पल लिया जाए।

यदि मौसम खराब हो तो गीले बक्सों से सैम्पल लेने से बचें। कई कृषि रसायन/कीटनाशक पानी में घुलनशील होते हैं, इसलिए वर्षा के पानी के परिणामस्वरूप कीटनाशक अन्य बॉक्सों को पार-दूषित कर सकते हैं।

लॉट से लिए जाने वाले न्यूनतम प्राथमिक सैम्पल नीचे दिए गए हैं:



## तालिका 1

| कमोडिटी वर्गीकरण                | प्राथमिक सैम्पल की प्रकृति | प्रत्येक प्रयोगशाला सैम्पल का न्यूनतम आकार   |
|---------------------------------|----------------------------|--|
| हरी मिर्च                       |                            |  |
| (सामान्यतः इकाइयाँ < 5 to 10 g) | साबुत हरी मिर्च            | 1 कि.ग्रा. (समान कृषि अभ्यासों वाले लॉट/लॉट्स से यादृच्छिक ढंग से चुने गए 10 बिंदुओं से लगभग 100 ग्राम एकत्र किया जाएगा) |

हरी मिर्च का न्यूनतम प्रयोगशाला सैम्पल (साबुत हरी मिर्च सामान्यतः <10 ग्राम) लगभग 1 किलो होगा। इसमें लगभग 100 ग्राम हरी मिर्च शामिल है, प्रत्येक को समान कृषि अभ्यासों वाले लॉट/लॉट से कम से कम 10 यादृच्छिक रूप से चयनित बिंदुओं से एकत्र किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए, चयनित लॉट को 10 सैम्पल स्थानों में विभाजित किया जाएगा और ऊपर दी गई तालिका में वर्णित अनुसार प्रत्येक स्थान से सैम्पल लिए जाएंगे।

### सैम्पल की पैकिंग और परिवहन

सैम्पलों को हरी मिर्च के परिवहन के लिए डिज़ाइन किए गए स्वच्छ और शुद्ध पॉलिथीन बैग में अलग से पैक किया जाए। इन प्रक्रियाओं में दी गई सैम्पल स्लिप को पॉलीइथाइलीन कवर में रखा जाए और इसे बैग में डाला जाए।

निम्नलिखित जानकारी के साथ बैगों को बाहर से लेबल किया जाए:

- हरी मिर्च के अवशिष्ट विश्लेषण के लिए सैम्पल
- सैम्पल पर्ची संख्या
- सैम्पल लेने की तिथि
- सैम्पल लेने का समय
- लॉट का विशिष्ट पहचान कोड
- किसान पहचान कोड
- हस्ताक्षर के साथ प्रयोगशाला के सैम्पल का नाम

पैक हाउस/प्रतिष्ठानों/फार्मों से सैम्पल लेने के 18 घंटे के भीतर सीलबंद सैम्पल प्रयोगशाला में पहुंच जाएंगे। पारगमन के दौरान सैम्पल को खराब होने से बचाने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती जाए।

प्रयोगशाला के सैम्पल को क्वार्टरिंग तकनीक द्वारा अच्छी तरह मिश्रित किया जाएगा और दो भागों में विभाजित किया जाएगा:

- i. प्रयोगशाला द्वारा प्रत्यक्ष विश्लेषण के लिए सैम्पल (आधी मात्रा, ~500 ग्राम)
- ii. भविष्य में आगे के विश्लेषण के लिए काउंटर सैम्पल (बाकी आधा मात्रा, ~ 500 ग्राम)। प्रयोगशालाएं विश्लेषण प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से 21 दिनों की अवधि के लिए उचित तापमान पर कोल्ड स्टोर में नियंत्रित परिस्थितियों में काउंटर सैम्पल (सैम्पल) को बनाए रखेंगी।



संलग्नक-6

यूरोपीय संघ को हरी मिर्च के निर्यात के लिए विश्लेषण किए जाने वाले कृषि रसायनों की सूची

| सं. | एग्रोकैमिकल का नाम   | एमआरएल (mg/kg) |
|-----|--|----------------|
| 1.  | 1-Naphthylacetamide and 1-naphthylacetic acid (sum of 1-naphthylacetamide and 1-naphthylacetic acid and its salts, expressed as 1-naphthylacetic acid) | 0.06*          |
| 2.  | 2,4-D (sum of 2,4-D and its esters expressed as 2,4-D)   | 0.05*          |
| 3.  | 4-Chloro-3-methylphenol  | 0.01*          |
| 4.  | 4-bromo-2-chlorophenol (metabolite of Profenophos)   | 0.01*          |
| 5.  | 6-Benzyl adenine   | 0.01*          |
| 6.  | Abamectin (sum of avermectin B1a, avermectin B1b and delta-8,9 isomer of avermectin B1a) (F)   | 0.07           |
| 7.  | Acephate   | 0.01*          |
| 8.  | Acetamiprid (R)  | 0.30           |
| 9.  | Afidopyropen   | 0.01*          |
| 10. | Alachlor   | 0.01*          |
| 11. | Aldrin and Dieldrin (Aldrin and dieldrin combined expressed as dieldrin) (F)   | 0.01*          |
| 12. | Allethrin and Bioallethrin   | 0.01*          |
| 13. | Ametoctradin   | 2.00           |
| 14. | Atrazine (F)   | 0.05*          |
| 15. | Azadirachtin   | 1.00           |
| 16. | Azoxystrobin   | 3.00           |
| 17. | Benalaxyl including other mixtures of constituent isomers including Benalaxyl-M (sum of isomers)   | 0.20           |
| 18. | Bendiocarb   | 0.01*          |
| 19. | Benomyl (see carbendazim)  | 0.10*          |
| 20. | Bifenazate (sum of bifenazate plus bifenazate-diazene expressed as bifenazate) (F)   | 3.00           |
| 21. | Bifenthrin (sum of isomers) (F)  | 0.50           |
| 22. | Bitertanol (sum of isomers) (F)  | 0.01*          |
| 23. | Boscalid (F) (R) (A)   | 3.00           |
| 24. | Buprofezin (F)   | 0.01*          |
| 25. | Butachlor  | 0.01*          |
| 26. | Capropamid   | 0.01*          |
| 27. | Captafol (F)   | 0.02*          |
| 28. | Captan (Sum of captan and THPI, expressed as captan) (R) (A)   | 0.03*          |
| 29. | Carbaryl (F)   | 0.01*          |

|     |   |        |
|-----|---|--------|
| 30. | Carbendazim and benomyl (sum of benomyl and carbendazim expressed as carbendazim) (R)   | 0.10*  |
| 31. | Carbofuran (sum of carbofuran (including any carbofuran generated from carbosulfan, benfuracarb or furathiocarb) and 3-OH carbofuran expressed as carbofuran) (R) | 0.002* |
| 32. | Carboxin (carboxin plus its metabolites carboxin sulfoxide and oxycarboxin (carboxin sulfone), expressed as carboxin)   | 0.03*  |
| 33. | Cartap hydrochloride  | 0.01*  |
| 34. | Chlorantraniliprole (DPX E-2Y45) (F)  | 1.00   |
| 35. | Chlordane (sum of cis- and trans-chlordane) (F) (R)   | 0.01*  |
| 36. | Chlorfenapyr  | 0.01*  |
| 37. | Chlorfenvinphos (F)   | 0.01*  |
| 38. | Chlorfluazuron  | 0.01*  |
| 39. | Chlormequat (CCC) (sum of chlormequat and its salts, expressed as chlormequat-chloride)   | 0.01*  |
| 40. | Chlorothalonil (R)  | 0.01*  |
| 41. | Chlorpropham (F) (R) (A)  | 0.01*  |
| 42. | Chlorpyrifos (F)  | 0.01*  |
| 43. | Chlorpyrifos-methyl (F) (R)   | 1.00   |
| 44. | Clofentezine (R)  | 0.02*  |
| 45. | Clothianidin  | 0.04   |
| 46. | Cyantraniliprole  | 1.50   |
| 47. | Cyazofamid  | 0.01*  |
| 48. | Cyenopyrafen  | 0.01*  |
| 49. | Cyflumetofen  | 0.01*  |
| 50. | Cyfluthrin (cyfluthrin including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers)) (F)  | 0.30   |
| 51. | Cymoxanil   | 0.01*  |
| 52. | Cypermethrin (cypermethrin including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers)) (F)  | 0.50   |
| 53. | Dazomet (Methylisothiocyanate resulting from the use of dazomet and metam)  | 0.10   |
| 54. | DDT (all isomers, sum of p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE and p,p'-TDE (DDD) expressed as DDT)  | 0.05*  |
| 55. | Deltamethrin (cis-deltamethrin) (F)   | 0.2    |
| 56. | Diafenthiuron   | 0.01*  |
| 57. | Diazinon (F)  | 0.05   |
| 58. | Dichlorvos  | 0.01*  |
| 59. | Diclofop (sum diclofop-methyl and diclofop acid expressed as diclofop-methyl)   | 0.05*  |
| 60. | Dieldrin (see Aldrin)   | 0.01*  |
| 61. | Difenoconazole  | 0.90   |
| 62. | Diflubenzuron (F) (R)   | 0.01*  |
| 63. | Dimethachlor  | 0.01*  |

|      |   |        |
|------|---|--------|
| 64.  | Dimethoate  | 0.01*  |
| 65.  | Dimethomorph (sum of isomers)   | 1.00   |
| 66.  | Dinotefuran   | 0.01*  |
| 67.  | Dithianon   | 0.60   |
| 68.  | Dithiocarbamates (dithiocarbamates expressed as CS <sub>2</sub> , including maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram and ziram) | 5.00   |
| 69.  | Diuron  | 0.01*  |
| 70.  | Dodine  | 0.01*  |
| 71.  | Edifenphos  | 0.01*  |
| 72.  | Emamectin benzoate B1a, expressed as emamectin  | 0.02   |
| 73.  | Endosulfan (sum of alpha- and beta-isomers and endosulfan-sulphate expressed as endosulfan) (F)                                   | 0.05*  |
| 74.  | Endrin (F)  | 0.01*  |
| 75.  | Epoxiconazole   | 0.05*  |
| 76.  | Ethephon  | 0.05*  |
| 77.  | Ethion  | 0.01*  |
| 78.  | Etofenprox (F)  | 0.01*  |
| 79.  | Etoxazole   | 0.01*  |
| 80.  | Etrimfos  | 0.01*  |
| 81.  | Famoxadone (F)  | 0.01*  |
| 82.  | Fenamidone  | 1.00   |
| 83.  | Fenarimol   | 0.02*  |
| 84.  | Fenazaquin  | 0.50   |
| 85.  | Fenhexamid (F)  | 3.00   |
| 86.  | Fenitrothion  | 0.01*  |
| 87.  | Fenobucarb  | 0.01*  |
| 88.  | Fenpropathrin   | 0.01*  |
| 89.  | Fenpyroximate (A) (F) (R)   | 0.30   |
| 90.  | Fenthion (fenthion and its oxygen analogue, their sulfoxides and sulfone expressed as parent) (F)                                 | 0.01*  |
| 91.  | Fenvalerate (any ratio of constituent isomers (RR, SS, RS & SR) including esfenvalerate) (F) (R)                                  | 0.05   |
| 92.  | Fipronil (sum fipronil + sulfone metabolite (MB46136) expressed as fipronil) (F)  | 0.005* |
| 93.  | Flonicamid (sum of flonicamid, TNFG and TNFA expressed as flonicamid) (R)   | 0.30   |
| 94.  | Flubendiamide (F)   | 0.2    |
| 95.  | Flufenacet (sum of all compounds containing the N fluorophenyl-N-isopropyl moiety expressed as flufenacet equivalent)             | 0.05*  |
| 96.  | Flufenoxuron (F)  | 0.50   |
| 97.  | Flufenzin   | 0.02*  |
| 98.  | Fluopicolide  | 1.00   |
| 99.  | Fluopyram (R)   | 3.00   |
| 100. | Flusilazole (F) (R)   | 0.01*  |

|      |  |       |
|------|--|-------|
| 101. | Flupyradifurone  | 0.90  |
| 102. | Forchlorfenuron (CPPU)   | 0.01* |
| 103. | Fluxapyroxad   | 0.60  |
| 104. | Fosetyl-Al (sum fosetyl + phosphorous acid and their salts, expressed as fosetyl)  | 130   |
| 105. | Hexachlorocyclohexane (HCH), alpha-isomer (F)  | 0.01* |
| 106. | Hexachlorocyclohexane (HCH), beta-isomer (F)   | 0.01* |
| 107. | Heptachlor (sum of heptachlor and heptachlor epoxide expressed as heptachlor) (F)  | 0.01* |
| 108. | Hexaconazole   | 0.01* |
| 109. | Hexythiazox  | 0.50  |
| 110. | Imazethapyr  | 0.01* |
| 111. | Imidacloprid   | 1.00  |
| 112. | Indoxacarb (sum of indoxacarb and its R enantiomer) (F)  | 0.30  |
| 113. | Iodosulfuron-methyl (sum of iodosulfuron-methyl and its salts, expressed as iodosulfuron-methyl)                                     | 0.01* |
| 114. | Iprobenfos   | 0.01* |
| 115. | Iprodione (R)  | 0.01* |
| 116. | Iprovalicarb   | 0.01* |
| 117. | Isoprothiolane   | 0.01* |
| 118. | Isoproturon  | 0.01* |
| 119. | Kresoxim-methyl (R)  | 0.80  |
| 120. | Lambda-cyhalothrin (includes gamma-cyhalothrin) (sum of R,S and S,R isomers) (F)   | 0.10  |
| 121. | Lindane (Gamma-isomer of hexachlorocyclohexane (HCH)) (F)  | 0.01* |
| 122. | Linuron  | 0.01* |
| 123. | Lufenuron(F)   | 0.80  |
| 124. | Malathion (sum of malathion and malaoxon expressed as malathion)   | 0.02* |
| 125. | Mandipropamid  | 1.00  |
| 126. | Mepiquat (sum of mepiquat and its salts, expressed as mepiquat chloride)   | 0.02* |
| 127. | Metalaxyl and metalaxyl-M (metalaxyl including other mixtures of constituent isomers including metalaxyl-M (sum of isomers))         | 0.50  |
| 128. | Methamidophos  | 0.01* |
| 129. | Methomyl   | 0.04  |
| 130. | Metolachlor and S-metolachlor (metolachlor including other mixtures of constituent isomers including S-metolachlor (sum of isomers)) | 0.05* |
| 131. | Metrafenone  | 2.00  |
| 132. | Metribuzin   | 0.10* |
| 133. | Milbemectin (sum of milbemycin A4 and milbemycin A3, expressed as milbemectin)   | 0.02* |
| 134. | Monocrotophos  | 0.01* |
| 135. | Myclobutanil (R)   | 0.50  |
| 136. | Novaluron (F)  | 0.60  |
| 137. | Omethoate  | 0.01* |

|      |        |       |
|------|--------|-------|
| 138. | Oxamyl | 0.01* |
|------|--------|-------|



|      |  |       |
|------|--|-------|
| 139. | Oxadiazon  | 0.05* |
| 140. | Oxycarboxin  | 0.01* |
| 141. | Oxydemeton-methyl (sum of oxydemeton-methyl and demeton-S-methylsulfone expressed as oxydemeton-methyl)  | 0.01* |
| 142. | Oxyfluorfen  | 0.05* |
| 143. | Paclobutrazol (sum of constituent isomers)   | 0.01* |
| 144. | Parathion (F)  | 0.05* |
| 145. | Parathion-methyl (sum of Parathion-methyl and paraoxon-methyl expressed as Parathion-methyl)   | 0.01* |
| 146. | Penconazole (F)  | 0.20  |
| 147. | Pencycuron (F)   | 0.05* |
| 148. | Pendimethalin (F)  | 0.05* |
| 149. | Permethrin (sum of isomers)  | 0.05* |
| 150. | Phenthoate   | 0.01* |
| 151. | Phorate (sum of phorate, its oxygen analogue and their sulfones expressed as phorate)  | 0.01* |
| 152. | Phosalone  | 0.01* |
| 153. | Phosphamidon   | 0.01* |
| 154. | Picoxystrobin (F)  | 0.01* |
| 155. | Pirimiphos-methyl  | 0.01* |
| 156. | Prochloraz (sum of prochloraz and its metabolites containing the 2,4,6-Trichlorophenol moiety expressed as prochloraz)   | 0.05* |
| 157. | Profenofos (F)   | 0.01* |
| 158. | Propamocarb (sum of propamocarb and its salt expressed as propamocarb)   | 3.00  |
| 159. | Propanil   | 0.01* |
| 160. | Propargite (F)   | 0.01* |
| 161. | Propetamphos   | 0.01* |
| 162. | Propiconazole (F)  | 0.01* |
| 163. | Propoxur   | 0.05* |
| 164. | Pymetrozine  | 3.00* |
| 165. | Pyraclostrobin (F)   | 0.50  |
| 166. | Pyridaben (F)  | 0.01* |
| 167. | Pyridalyl  | 2.00  |
| 168. | Pyriproxyfen (F)   | 1.00  |
| 169. | Quinalphos (F)   | 0.01* |
| 170. | Quizalofop (sum of quizalofop, its salts, its esters (including propaquizafop) and its conjugates, expressed as quizalofop (any ratio of constituent isomers)) | 0.01* |
| 171. | Simazine   | 0.01* |
| 172. | Spinetoram   | 0.50  |
| 173. | Spinosad (spinosad, sum of spinosyn A and spinosyn D) (F)  | 2     |
| 174. | Spirodiclofen  | 0.20  |
| 175. | Spiromesifen   | 0.50  |

|      |  |       |
|------|--|-------|
| 176. | Spirotetramat and its 4 metabolites BYI08330-enol, BYI08330-ketohydroxy, BYI08330-monohydroxy, and BYI08330 enol-glucoside, expressed as spirotetramat (R) | 2.00  |
| 177. | Sulfoxaflor (sum of isomers)   | 0.40  |
| 178. | tau-Fluvalinate (F)  | 0.01* |
| 179. | Tebuconazole (R)   | 0.60  |
| 180. | Tebufenozide (F)   | 1.50  |
| 181. | Temephos   | 0.01* |
| 182. | Tetracycline   | 0.01* |
| 183. | Tetraconazole  | 0.10  |
| 184. | Thiabendazole  | 0.01* |
| 185. | Thiacloprid (F)  | 1.00  |
| 186. | Thiamethoxam   | 0.70  |
| 187. | Thiobencarb (4-chlorobenzyl methyl sulfone) (A)  | 0.01* |
| 188. | Thiodicarb   | 0.01* |
| 189. | Thiometon  | 0.01* |
| 190. | Thiocyclam   | 0.01* |
| 191. | Thiophanate-methyl (R)   | 0.10* |
| 192. | Tolfenpyrad  | 0.01* |
| 193. | Transfluthrin  | 0.01* |
| 194. | Triacantanol   | 0.01* |
| 195. | Triadimefon (F)  | 0.01* |
| 196. | Triadimenol (any ratio of constituent isomers)   | 0.50  |
| 197. | Triazophos (F)   | 0.01* |
| 198. | Trichlorfon  | 0.01* |
| 199. | Tricyclazole   | 0.01* |
| 200. | Tridemorph (F)   | 0.01* |
| 201. | Trifloxystrobin (F) (R)  | 0.40  |
| 202. | Trifluralin  | 0.01* |
| 203. | Triforine  | 0.01* |
| 204. | Validamycin  | 0.01* |

\* EU-MRL set at LOQ (mg/kg) as per  
[http://ec.europa.eu/sanco\\_pesticides/public/index.cfm?event=substance.selection](http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm?event=substance.selection)

## GCC को नियत हरी मिर्च के निर्यात के लिए विश्लेषण किए जाने वाले कृषि रसायनों की सूची

(GCC-SFDA प्लस EU MRLs के बाद GCC-SFDA)

| सं. | एग्रीकेमिकल का नाम  | GCC-SFDA MRL mg/kg | ईयू एमआरएल mg/kg |
|-----|---------------------|--------------------|------------------|
| 1   | Abamectin           | 0.005              | -                |
| 2   | Acephate            | -                  | 0.01             |
| 3   | Acetamiprid         | -                  | 0.3              |
| 4   | Afidopyropen        | -                  | 0.01             |
| 5   | Ametoctradin        | -                  | 2.0              |
| 6   | Amisulbrom          | -                  | 0.01             |
| 7   | Azoxystrobin        | -                  | 3.0              |
| 8   | Benalaxyl           | -                  | 0.2              |
| 9   | Bifenthrin          | -                  | 0.5              |
| 10  | Bitertanol          | -                  | 0.01             |
| 11  | Bifenazate          | 3.0                | -                |
| 12  | Boscalid            | -                  | 3.0              |
| 13  | Buprofezin          | 10.0               | -                |
| 14  | Butachlor           | -                  | 0.01             |
| 15  | Captan              | -                  | 0.03             |
| 16  | Carbaryl            | 0.5                | -                |
| 17  | Carbendazim         | 2.0                | -                |
| 18  | Carbofuran          | -                  | 0.002            |
| 19  | Chlorantraniliprole | -                  | 1.0              |
| 20  | Chlorfenapyr        | -                  | 0.01             |
| 21  | Chlorfluazuron      | -                  | 0.01             |
| 22  | Chlormequat (CCC)   | -                  | 0.01             |
| 23  | Chlorothalonil      | -                  | 0.01             |
| 24  | Chlorpyrifos        | -                  | 0.01             |
| 25  | Cyantraniliprole    | -                  | 1.5              |
| 26  | Cyazofamid          | 0.8                | -                |
| 27  | Cyenopyrafen        | -                  | 0.01             |
| 28  | Cyflufenamid        | -                  | 0.06             |
| 29  | Cyfluthrin          | -                  | 0.3              |
| 30  | Cymoxanil           | -                  | 0.01             |
| 31  | Cypermethrin        | 2.0                | -                |
| 32  | Dazomet             | -                  | 0.1              |
| 33  | Deltamethrin        | -                  | 0.2              |
| 34  | Diafenthiuron       | -                  | 0.01             |

|    |  |     |       |
|----|--|-----|-------|
| 35 | Dichlorvos   | -   | 0.01  |
| 36 | Dicofol  | -   | 0.02  |
| 37 | Difenoconazole   | -   | 0.9   |
| 38 | Diflubenzuron  | 3.0 | -     |
| 39 | Dimethoate   | -   | 0.01  |
| 40 | Dimethomorph   | -   | 1.0   |
| 41 | Dithiocarbamates(dithiocarbamates expressed as CS <sub>2</sub> , including mancozeb, metiram and propineb) | -   | 5.0   |
| 42 | Dinotefuran  | -   | 0.01  |
| 43 | Diuron   | -   | 0.01  |
| 44 | Dodine   | -   | 0.01  |
| 45 | Edifenphos   | -   | 0.01  |
| 46 | Emamectin benzoate   | -   | 0.02  |
| 47 | Ethion   | -   | 0.01  |
| 48 | Etofenprox   | -   | 0.01  |
| 49 | Etoxazole  | -   | 0.01  |
| 50 | Etrimfos   | -   | 0.01  |
| 51 | Famoxadone   | -   | 0.01  |
| 52 | Fenamidone   | 4.0 | -     |
| 53 | Fenazaquin   | -   | 0.5   |
| 54 | Fenpropathrin  | -   | 0.01  |
| 55 | Fenpyroximate  | -   | 0.3   |
| 56 | Fenvalerate  | -   | 0.05  |
| 57 | Fipronil   | -   | 0.005 |
| 58 | Flonicamid   | -   | 0.3   |
| 59 | Flubendiamide  | -   | 0.2   |
| 60 | Fluopicolide   | -   | 1.0   |
| 61 | Flufenzine   | -   | 0.02  |
| 62 | Fluopyram  | -   | 3.0   |
| 63 | Flupyradifurone  | -   | 0.01  |
| 64 | Flusilazole  | -   | 0.01  |
| 65 | Fluthiacet-methyl  | -   | 0.01  |
| 66 | Fluxapyroxad   | -   | 0.6   |
| 67 | Hexaconazole   | -   | 0.01  |
| 68 | Hexythiazox  | -   | 0.5   |
| 69 | Imidacloprid   | -   | 1.0   |
| 70 | Indoxacarb   | -   | 0.3   |
| 71 | Iprodione  | -   | 0.01  |
| 72 | Iprovalicarb   | -   | 0.01  |
| 73 | Kresoxim-methyl  | -   | 0.8   |
| 74 | Lambda-cyhalothrin   | -   | 0.1   |
| 75 | Lufenuron  | -   | 0.8   |

|     |                    |     |      |
|-----|--------------------|-----|------|
| 76  | Malathion          | -   | 0.02 |
| 77  | Mandipropamid      | -   | 1.0  |
| 78  | Metaflumizone      | -   | 1.0  |
| 79  | Metalaxyl          | -   | 0.5  |
| 80  | Methamidophos      | -   | 0.01 |
| 81  | Methomyl           | -   | 0.04 |
| 82  | Metrafenone        | 2.0 | -    |
| 83  | Monocrotophos      | -   | 0.01 |
| 84  | Myclobutanil       | -   | 3.0  |
| 85  | Nereistoxin        | -   | 0.01 |
| 86  | Novaluron          | -   | 0.6  |
| 87  | Oxydemeton- methyl | -   | 0.01 |
| 88  | Pedimethalin       | -   | 0.05 |
| 89  | Pencycuron         | -   | 0.05 |
| 90  | Phenthoate         | -   | 0.01 |
| 91  | Phorate            | -   | 0.01 |
| 92  | Phosalone          | -   | 0.01 |
| 93  | Picoxystrobin      | -   | 0.01 |
| 94  | Prochloraz         | -   | 0.03 |
| 95  | Pirimiphos methyl  | -   | 0.01 |
| 96  | Profenofos         | 3.0 | -    |
| 97  | Propargite         | -   | 0.01 |
| 98  | Propiconazole      | -   | 0.01 |
| 99  | Pyraclostrobin     | -   | 0.5  |
| 100 | Pyridalyl          | -   | 2.0  |
| 101 | Pyriproxyfen       | -   | 1.0  |
| 102 | Quinalphos         | -   | 0.01 |
| 103 | Spinetoram         | -   | 0.5  |
| 104 | Spinosad           | -   | 2.0  |
| 105 | Spiromesifen       | -   | 0.5  |
| 106 | Spirotetramat      | 2.0 | -    |
| 107 | Sulfentrazone      | -   | 0.01 |
| 108 | Tebuconazole       | -   | 0.6  |
| 109 | Tetraconazole      | -   | 0.1  |
| 110 | Thiacloprid        | -   | 1.0  |
| 111 | Thiamethoxam       | -   | 0.7  |
| 112 | Thifluzamide       | -   | 0.01 |
| 113 | Thiocyclam         | -   | 0.01 |
| 114 | Thiodicarb         | -   | 0.01 |
| 115 | Tolfenpyrad        | -   | 0.01 |
| 116 | Thiophanate methyl | -   | 0.1  |
| 117 | Triadimefon        | -   | 0.01 |

|     |                 |   |      |
|-----|-----------------|---|------|
| 118 | Triadimenol     | - | 0.5  |
| 119 | Tricyclazole    | - | 0.01 |
| 120 | Trifloxystrobin | - | 0.4  |

हरी मिर्च के निर्यात के लिए अवशेष विश्लेषण प्रमाण पत्र का प्रारूप  
(प्रयोगशालाओं द्वारा जारी किया जाए)

- 1) विशिष्ट पहचान कोड \_\_\_\_\_ (कृपया सैम्पल पर्ची देखें)
- 2) किसान पहचान कोड \_\_\_\_\_ (कृपया सैम्पल पर्ची देखें)
- 3) निर्यातक का एपीडा पंजीकरण (आरसीएमसी नंबर)
- 4) पैकहाउस का नाम और पता
- 5) पैकहाउस अनुमोदन संख्या और मान्यता (एपीडा द्वारा जारी)
- 6) सैम्पल विवरण
  - a) सैम्पल निकालने का स्थान \_\_\_\_\_ तिथि \_\_\_\_\_ और समय \_\_\_\_\_
  - b) सैम्पल की मात्रा
  - c) पैकिंग
  - d) प्रयोगशाला सैम्पल कोड सं.
- 7) प्रयोगशाला के फील्ड सैंपलर का नाम \_\_\_\_\_ जिसके द्वारा सैम्पल लिया गया है
- 8) प्रयोगशाला में सैम्पल प्राप्त होने की तिथि \_\_\_\_\_
- 9) विश्लेषण के पूरा होने की तिथि \_\_\_\_\_

| क्र.सं. | रसायनों के नाम | आईईयू एमआरएल (mg/kg) | अवशिष्ट सामग्री (mg/kg) | निर्धारण की सीमा (mg/kg) | विधि विश्लेषण | विश्लेषण के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण |
|---------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|---|
| 1.      | 2              | 3                    | 4.                      | 5                        | 6.            | 7   |
|         | .              |                      |                         | .                        |               |   |

प्रमाण-पत्र

- 1) यह प्रमाणित किया जाता है कि यह सैम्पल हमारे फील्ड सैंपलर द्वारा पंजीकृत और अनुशंसित फार्म (फार्मा) से लिया गया था जहां उपयुक्त PHI और एपीडा अनुमोदन संख्या \_\_\_\_\_ वाले पैकहाउस को बनाए रखा गया था और हमारे द्वारा इसका विश्लेषण किया गया है। उपरोक्त वर्णित कृषि रसायनों के अवशिष्टों के लिए सैम्पल का परीक्षण किया गया था और सैम्पल में अवशिष्ट सामग्री ऊपर दी गई तालिका के कॉलम 4 में दी गई है।
- 2) इस प्रयोगशाला की ISO-17025 मान्यता वर्तमान तिथि में वैध है।  
परिणाम: सैम्पल उपरोक्त सूचीबद्ध रसायनों के संबंध में (i) EU MRLs (ii) GCC MRLs के अनुरूप/अनुरूप नहीं है (जो लागू न हो उसे काट दें)।

तिथि:

मुहर सहित प्रयोगशाला के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता  
के हस्ताक्षर

स्थान:

यूरोपीय संघ के लिए नियत प्रत्येक हरी मिर्च के डिब्बे में लेबल लगाया जाए  
(निर्यातक/मान्यता प्राप्त पैकहाउस द्वारा जोड़ा जाए)

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| उत्पाद का नाम     | हरी मिर्च     |
| विशिष्ट पहचान कोड | AAAPHL000F123 |

AAA: निर्यातक का तीन अक्षर कोड नाम

PHL: तीन अक्षर पैकहाउस गंतव्य स्थान कोड

000: तीन संख्यात्मक पैकहाउस अनुमोदन संख्या कोड

F123: चार अक्षरांकीय किसान पंजीकरण कोड



कुछ खाद्य संघ में प्रवेश के लिए आयोग कार्यान्वयन विनियमन (ईयू) 2019/1793 के अनुच्छेद 11 में संदर्भित मॉडल आधिकारिक प्रमाण-पत्र

| COUNTRY   |   |  | Official certificate to the EU   |                             |                          |
|---|---|--|--|-----------------------------|--------------------------|
| Part 1: Details of dispatched consignment   | I.1. Consignor/Exporter<br>Name<br>Address<br>Tel. No   |  | I.2. Certificate reference No  |                             | I.2.a IMSOC reference No |
|   |   |  | I.3. Central Competent Authority   |                             |                          |
|   |   |  | I.4. Local Competent Authority   |                             |                          |
|   | I.5. Consignee/Importer:<br>Name<br>Address<br>Postal code<br>Tel. No   |  | I.6. Operator responsible for the consignment<br>Name<br>Address<br>Postal code  |                             |                          |
|   | I.7. Country of origin  | ISO  | I.8. Region of origin  | I.9. Country of destination | ISO                      |
|   | I.11. Place of dispatch<br>Name<br>Address  |  | I.12. Place of destination<br>Name<br>Address  |                             |                          |
|   | I.13. Place of loading  |  | I.14. Date and time of departure   |                             |                          |
|   | I.15. Means of transport<br>Aeroplane <input type="checkbox"/> Vessel <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/><br>Road vehicle <input type="checkbox"/> Railway <input type="checkbox"/> |  | I.16. Entry BCP  |                             |                          |
|   | Identification:<br>I.18. Transport conditions<br>Ambient <input type="checkbox"/> Chilled <input type="checkbox"/> Frozen <input type="checkbox"/>  |  | I.17. Accompanying documents<br><input type="checkbox"/> Laboratory report<br>No.<br>Date of issuance:<br><input type="checkbox"/> Other<br>Type<br>No |                             |                          |
|   | I.19. Container No/Seal No  |  |  |                             |                          |
| I.20. Goods certified as<br>Human consumption <input type="checkbox"/><br>Feedingstuff <input type="checkbox"/> |   |  |  |                             |                          |
| I.21.   |   | I.22.<br>For internal market: <input type="checkbox"/> |  |                             |                          |
| I.23. Total number of packages  | I.24. Quantity<br>Total number  | Total net weight (Kg)                                  |  | Total gross weight (Kg)     |                          |
| I.25. Description of goods<br>No Code and CN title  |   |  |  |                             |                          |
| Species (Scientific name)   |   |  |  |                             |                          |
| Final consumer<br><input type="checkbox"/>  | Number of packages  | Net weight   | Batch No   | Type of packaging           |                          |

**COUNTRY** **Certificate for the entry into the Union of food or feed**

|                               |   |                               |                         |
|-------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Part II: Certification</b> | <b>II. Health information</b>   | II.a Certificate reference No | II.b IMSOC reference No |
|                               | <p><b>II.1.</b> I, the undersigned, declare that I am aware of the relevant provisions of Regulation (EC) No 178/2002 of the and of the Council of 28 January 2002 laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety (OJ L 31, 1.2.2002, p. 1), Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the hygiene of foodstuffs (OJ L 139, 30.4.2004, p. 1), Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council of 12 January 2005 laying down requirements for feed hygiene (OJ L 35, 8.2.2005, p. 1) and Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on official controls and other official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health and plant protection products, amending Regulations (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (EU) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 and (EU) 2016/2031 of the European Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 1/2005 and (EC) No 1099/2009 and Council Directives 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC and 2008/120/EC and repealing Regulations (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council, Council Directives 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC and 97/78/EC and Council Decision 92/438/EEC (Official Controls Regulation) (OJ L 95, 7.4.2017, p. 1), and I certify that:</p> <p>(<sup>1</sup>) Either</p> <p>II.1.1. <input type="checkbox"/> the food of the consignment described above with the identification code ... (indicate the identification code for the consignment referred to in Article 9(1) of Implementing Regulation (EU) 2019/1793) was produced in accordance with the requirements of Regulations (EC) No 178/2002 and (EC) No 852/2004 and in particular:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— primary production of such food and associated operations listed in Annex I to Regulation (EC) No 852/2004 comply with the general hygiene provisions laid down in part A of Annex I to Regulation (EC) No 852/2004;</li> <li>— (<sup>1</sup>) (<sup>2</sup>) and, in the case of any stage of production, processing and distribution after primary production and related operations:</li> <li>— it has been handled and, where appropriate, prepared, packaged and stored in a hygienic manner in accordance with the requirements of Annex II to Regulation (EC) No 852/2004 and,</li> <li>— it comes from (an) establishment(s) implementing a programme based on the hazard analysis and critical control points (HACCP) principles in accordance with Regulation (EC) No 852/2004;</li> </ul> <p>(<sup>1</sup>) Or</p> <p>II.1.2. <input type="checkbox"/> the feed of the consignment described above with the identification code ... (indicate the identification code for the consignment referred to in Article 9(1) of Implementing Regulation (EU) 2019/1793) was produced in accordance with the requirements of Regulations (EC) No 178/2002 and (EC) No 183/2005 and in particular:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— primary production of such feed and associated operations listed in Article 5(1) of Regulation (EC) No 183/2005 comply with the provisions of Annex I to Regulation (EC) No 183/2005;</li> <li>— (<sup>1</sup>) (<sup>2</sup>) and, in the case of any stage of production, processing and distribution after primary production and related operations:</li> <li>— it has been handled and, where appropriate, prepared, packaged and stored in a hygienic manner in accordance with the requirements of Annex II to Regulation (EC) No 183/2005 and,</li> <li>— it comes from (an) establishment(s) implementing a programme based on the hazard analysis and critical control points (HACCP) principles in accordance with Regulation (EC) No 183/2005.]</li> </ul> <p>and</p> |                               |                         |

| COUNTRY                |   | Certificate for the entry into the Union of food or feed |                         |
|------------------------|---|--|-------------------------|
| Part II: Certification | <b>II. Health information</b>   | II.a Certificate reference No                            | II.b IMSOC reference No |
|                        | <p><b>II.2</b> I, the undersigned, according to the provisions of Implementing Regulation (EU) 2019/1793 on the temporary increase of official controls and emergency measures governing the entry into the Union of certain goods from certain third countries implementing Regulations (EU) 2017/625 and (EC) No 178/2002 of the European Parliament and repealing Commission Regulations (EC) No 669/2009, (EU) No 884/2014, (EU) No 2015/175, (EU) No 2017/186 and (EU) 2018/1660, certify that:</p> <p>(<sup>2</sup>) Either</p> <p><b>(II.2.1. <input type="checkbox"/> Certification for food and feed of non-animal origin listed in Annex II to Implementing Regulation (EU) 2019/1793, as well as for compound food listed in that Annex, due to contamination risk by mycotoxins</b></p> <p>— from the consignment described above, samples were taken in accordance with:</p> <p><input type="checkbox"/> Commission Regulation (EC) No 401/2006 to determine the level of aflatoxin B1 and level of total aflatoxin contamination for food</p> <p><input type="checkbox"/> Commission Regulation (EC) No 152/2009 to determine the level of aflatoxin B1 for feed</p> <p>on ..... (date), subject to laboratory analyses on ..... (date)</p> <p>in the ..... (name of the laboratory) with methods covering at least the hazards identified in Annex II to Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1793</p> <p>— The details of the methods of laboratory analyses and all results are attached and show compliance with Union legislation on maximum levels of aflatoxins.]</p> <p>(<sup>2</sup>) Or</p> <p><b>(II.2.2. <input type="checkbox"/> Certification for food and feed of non-animal origin listed in Annex II to Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1793, as well as for compound food listed in that Annex, due to contamination risk by pesticide residues</b></p> <p>— from the consignment described above, samples were taken in accordance with Commission Directive 2002/63/EC on ..... (date), subject to laboratory analyses on ..... (date) in the ..... (name of the laboratory) with methods covering at least the hazards identified in Annex II to Implementing Regulation (EU) 2019/1793</p> <p>— The details of the methods of laboratory analyses and all results are attached and show compliance with Union legislation on maximum residue levels of pesticides.]</p> <p>(<sup>2</sup>) Or</p> <p><b>(II.2.3. <input type="checkbox"/> Certification for guar gum listed in Annex II to Implementing Regulation (EU) 2019/1793, including for compound food listed in that Annex, due to contamination risk by pentachlorophenol and dioxins</b></p> <p>— from the consignment described above, samples were taken in accordance with Commission Directive 2002/63/EC on ..... (date), subject to laboratory analyses on ..... (date) in the ..... (name of the laboratory) with methods covering at least the hazards identified in Annex II to Implementing Regulation (EU) 2019/1793</p> <p>— The details of the methods of laboratory analyses and all results are attached and show that the goods do not contain more than 0.01 mg/kg pentachlorophenol (PCP).]</p> <p>(<sup>2</sup>) Or</p> |  |                         |

|   |   |   |                         |
|---|---|---|-------------------------|
|   | <b>COUNTRY</b>  | <b>Certificate for the entry into the Union of food or feed</b> |                         |
| <b>Part II: Certification</b>   | <b>II. Health information</b>   | II.a Certificate reference No                                   | II.b IMSOC reference No |
|   | <p>[II.2.4. <input type="checkbox"/> <b>Certification for food of non-animal origin listed in Annex II to Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1793, as well as for compound food listed in that Annex due to risk of microbiological contamination</b></p> <p>— from the consignment described above, samples were taken in accordance with Annex III to Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1793</p> <p>on ..... (date), subject to laboratory analyses on ..... (date)</p> <p>in the ..... (name of the laboratory) with methods covering at least the hazards identified in Annex II to Implementing Regulation (EU) 2019/1793</p> <p>— The details of the methods of laboratory analyses and all results are attached and show the absence of Salmonella in 25 g.</p> <p><b>II.3</b> This certificate has been issued before the consignment to which it relates has left the control of the competent authority issuing it.</p> <p><b>II.4</b> This certificate is valid during four months from the date of issue, but in any case no longer than six months from the date of the results of the last laboratory analyses.</p> <p><b>Notes</b></p> <p><b>See notes for completion in this Annex.</b></p> <p>Part II:</p> <p>(1) Delete or cross out as appropriate (e.g. if food or feed)</p> <p>(2) It applies only in the case of any stage of production, processing and distribution after primary production and related operations.</p> <p>(3) Delete or cross out as appropriate in the case where you do not select this point for providing the certification.</p> <p>— The colour of the signature shall be different to that of the printing. The same rule applies to stamps other than those that are embossed or are a watermark.</p> |   |                         |
| <p><b>Certifying officer:</b></p> <p style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Name (in capital letters):</span> <span>Qualification and title:</span> </p> <p style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Date:</span> <span>Signature:</span> </p> <p>Stamp</p> |   |   |                         |

\*\*\*\*\*